No. 2969-3020 dt. 10/8/2020

वन विभाग की विभागीय ऑडिट समिति की (वर्ष 2020–21) की प्रथम बैठक दिनांक 31.07.2020 का कार्यवाही विवरण

वन विभाग के ऑडिट समिति वर्ष 2020–21 की प्रथम बैठक दिनांक 31.07.2020 को अरण्य भवन के कॉन्फ्रेन्स हॉल में श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ठ** 'अ' पर संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री जी. वी. रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग एवं विभाग से आये हुए अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर ऑडिट समिति की बैठक में विचार विमर्श हेतु एजेण्डा बिन्दुओं का विस्तृत विवरण श्री संजय सोलंकी, वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

जन लेखा समिति

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग द्वारा जन लेखा समिति वर्ष 2019–20 के 49वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 1 से 17 के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को क्रियान्विति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में 10.08.2020 तक प्रस्तुत करने बाबत कहा। वर्ष 2017–18 के 252वे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय में जांच कर वस्तुस्थिति मालूम करने हेतु निर्देश दिये गये। वर्ष 2009–10 के 34वां प्रतिवेदन हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) को एक सप्ताह में अनुपालना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। वर्ष 2009–10 के 22वां प्रतिवेदन हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को एक सप्ताह में अनुपालना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। वर्ष 2007–08 के 206वां प्रतिवेदन के सिफारिश संख्या 1 से 4 हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) को एवं सिफारिश संख्या 5 हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) को एक सप्ताह में अनुपालना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

प्रमुख शासन सचिव, महोदया द्वारा जन लेखा समिति एवं सी.ए.जी. के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाकर समय पर पालना क्रियान्विति प्रेषित करने बाबत निर्देश दिये गये।

ड्राफ्ट पैरा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) ने 2 ड्राफ्ट पैरा में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) एवं मुख्य वन संरक्षक, कोटा को निर्धारित राशि से बकाया राशि के अन्तर जमा हेतु NHAI से सम्पर्क करें तथा विधिक रूप से राशि का अन्तर है अथवा नहीं, की जानकारी लिये जाने के निर्देश दिये। प्रमुख शासन सचिव महोदया, द्वारा राशि वसूल नहीं होने की स्थिति में इसे अपलेखन (वेव ऑफ) करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

महालेखाकार के 404 प्रतिवेदन के 1786 बकाया पैरा के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, ने सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक स्तर पर जहां 10 साल से ज्यादा पुराने प्रतिवेदन है, वहां संभाग स्तर पर कैम्प का आयोजन करवाने की आवश्यकता बताई तथा जहां सबसे कम अनुच्छेद है उन कार्यालयों को व्यकितगत स्तर पर बकाया पैराज की समीक्षा कर निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

महालेखाकार के रेवेन्यू के प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर को उनके अधीनस्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर तथा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को उनके अधीनस्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) एवं मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को उनके अधीनस्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़, को विशेष रूप से ध्यान देकर निस्तारण कराने हेतु कहा गया। इस सम्बन्ध में उपमहालेखाकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालना आवश्यक रूप से महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिये गये।

महालेखाकार की बकाया प्रथम अनुपालना

महालेखाकार के बकाया 25 कार्यालयों की प्रथम अनुपालना प्रेषित नहीं किया जाना अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा प्रथम अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्रेषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त करते हुए समस्त अधीनस्थ मुख्य वन संरक्षकों एवं उनके अधीनस्थ उप वन संरक्षकों को भविष्य में निर्धारित समयावधि में प्रथम अनुपालना रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिये गये।

चोरी, हानि एवं गबन

चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इन प्रकरणों के सम्बन्ध में काफी पत्राचार करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है। प्रमुख शासन सचिव ने वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, (मुख्यालय) को गबन प्रकरण में अपलेखन से सम्बन्धित विधि शाखा से सम्पर्क कर नियमानुसार प्रस्ताव शीघ्र राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा सभी सम्बन्धित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन संरक्षकों को चोरी/हानि एवं गबन के बकाया प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रकरणों की प्रकृति अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिन प्रकरणों में समस्त विधिक प्रयासों के बावजूद भी राजकीय हानि की वसूली किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्यता सहित अपलेखन के प्रस्ताव तैयार कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी/राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। सभी प्रकरणों में वसूली/अपलेखन करवाकर अद्यतन प्रगति से अवगत करावें। जिन प्रकरणों में पी. डी.आर. एक्ट/न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी न्यायालय के समक्ष पूर्ण प्रमाणों सहित मजबूती से विभागीय पक्ष रखकर प्रकरण शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु प्रभावी प्रयास करें।

ओ.बी. आईटम्स

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकों को उनके अधीनस्थ कार्यालय में बकाया ओ.बी. आईटम्स के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये तथा जिन कार्यालयों में सबसे अधिक ओ. बी. आईटम बकाया है, उन कार्यालयों को महालेखाकार कार्यालय में सम्पर्क कर निस्तारण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हुए ओ.बी. आईटम्स के निस्तारण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये।

निदेशक निरीक्षक विभाग आंतरिक जांच

निदेशक निरीक्षक विभाग के 95 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 596 अनुच्छेद बकाया हैं। सबसे अधिक पैरा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, (मुख्यालय) के बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा प्रतिवेदन बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षकों को उनके स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर निरीक्षक विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

निदेशक निरीक्षक विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) द्वारा समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षकों को उनके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ खण्डों में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स के अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण पालना तैयार करवाकर एवं स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर तैयार रखने के निर्देश दिये गये तथा प्रमुख शासन सचिव द्वारा निरीक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स के निस्तारण हेतु संभाग स्तर पर कैम्प आयोजित करने की आवश्यकता बताई गई, जिस पर बैठक में उपस्थित निरीक्षक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सहमति व्यक्त की गई। कैम्प के दौरान अधिक से अधिक रिपोर्टों के निस्तारण हेतु सभी को निर्देशित किया गया।

निदेशक निरीक्षक विभाग, विशेष जांच

प्रमुख शासन सचिव ने 15 विशेष जाचं प्रतिवेदनों के काफी लम्बे समय से बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) ने विशेष जांच प्रतिवेदनों में सम्बन्धित कार्यालयों के नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया कि आक्षेपों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा कर प्रतिवेदनों की ठोस/आक्षेपानुसार पालना वित्तीय सलाहकार को शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऑडिट सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध पें प्रत्येक माह में एक सप्ताह में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर इनके निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें तथा ऑडिट सम्बन्धी प्रतिवेदन/पैराओं के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया जावे। साथ ही एजेण्डा बिन्दुओं पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरणों की आगामी बैठक से पूर्व उन्हें दिये लक्ष्यों के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आक्षेपों के निस्तारण के लक्ष्यों में हुई प्रगति को सम्बन्धित वनाधिकारियों एवं लेखाकर्मियों के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदनों में भी अंकन किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

६०

(जी.वी. रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2018–19 / ऑडिट समिति / प्रमुवसं / 2969-3020 दिनांक : 10. 08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / TREE / NTFP / उत्पादन / प्रशासन / सिल्वा, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जैव विविधता (Biodiversity board)बोर्ड, अरावली भवन, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वयन) एवं नोडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर
13. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / FCA / M&E / वन सुरक्षा / कैम्पा जयपुर।
14. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, (RFBP) राजस्थान, जयपुर / अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
15. मुख्य वन संरक्षक, कोटा / जयपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / FPRP (बनास) / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / सदस्य सचिव, बायोडाईवर्सिटी बोर्ड, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, कोटा / वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर / आर.वी.पी. कोटा / बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर / मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) / (आयोजना) / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त / वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
16. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

10.8.20

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

3

(1) अरण्य भवन में बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

1. श्री जी. वी. रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर।
2. श्री संजीव कुमार सुराना, उप महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. श्री बी. प्रवीण, शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्री संजय सोलंकी, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जे. के. जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, संयुक्त शासन सचिव (वित्त) राजस्थान जयपुर।
6. पी. सी. कल्याणिया, वरीष्ठ लेखा परीक्षाधिकारी, महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. बाल गोविन्द शर्मा, सहायक लेखा परीक्षाधिकारी, महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
8. राजेन्द्र कुमार जैन, लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. हनुमान सहाय मीणा, लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कैलाश भारद्वाज, सहायक लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।

(2) अन्य अधिकारीगण जिनसे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की गई (कुछ अधिकारीगण तकनीकी कारणों से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सम्मिलित नहीं हो पाये)।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / TREE / NTFP / उत्पादन / प्रशासन / सिल्वा, राजस्थान, जयपु
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M&E) जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (RFBP) राजस्थान, जयपुर / अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर / वन सुरक्षा / कैम्पा / FCA, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, कोटा / जयपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / FPRP (बनास) / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / सदस्य सचिव, बायोडार्वसिटी बोर्ड, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, कोटा / वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर / आर.वी.पी. कोटा / बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर / मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) / (आयोजना) / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त / वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
8. उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर / सूरतगढ़।
9. समस्त उप वन संरक्षक।